कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 418/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 04.11.2026

थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

☐ थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ गुमशुदा महिला को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द।

☐ पुलिस टीम के मानवीय दृष्टिकोण एवं अथक प्रयासों से महिला की पहचान सुनिश्चित कर परिजनों से कराया गया मिलान।

घटना का विवरण-

दिनांक 01.11.2026 को जनपद आजमगढ़ की निवासी एक महिला बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई थी, जिसकी परिजनों द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 02.11.2026 को समय 20:53 बजे पीआरवी 7149 (इवेंट संख्या 25775) पर कॉलर द्वारा यूपी-112 पर सूचना दी गई कि उनके घर पर एक अज्ञात महिला आई है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अपना नाम-पता बताने में असमर्थ है।

पुलिस की कार्रवाई-

उक्त सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर थाना कप्तानगंज पुलिस को अवगत कराया गया। तत्पश्चात थाना कप्तानगंज से उ0नि0 श्री रामनिहाल वर्मा, म0उ0नि0 सुश्री नेहा पटेल, रि0म0 आरक्षी समीक्षा मौर्य एवं रि0म0 आरक्षी मधु मिश्रा द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला को सकुशल थाने लाया गया। पुलिस टीम द्वारा संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए महिला की पहचान सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए।

पहचान एवं परिजनों को सुपुर्दगी-

पुलिस टीम के अथक प्रयासों से महिला की पहचान सुनिश्चित की गई। महिला की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह अपना नाम-पता बताने में असमर्थ थी। पुलिस टीम द्वारा उसके परिजनों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें थाने पर बुलाया गया। आवश्यक सत्यापन एवं औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 03.11.2026 को महिला को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

महिला के सकुशल मिलने पर परिजनों द्वारा आजमगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, संवेदनशीलता एवं मानवीय प्रयासों की सराहना करते हुए हृदय से आभार व्यक्त किया गया।

थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

☐ थाना देवगांव पुलिस द्वारा हैंडपम्प चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी के हैंडपम्प के मुंडासेट सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ चोरी किए गए हैंडपम्प के मुंडासेट को बेचने की फिराक में खड़े दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने दबिश देकर किया गिरफ्तार।

घटना का विवरण-

दिनांक 29.10.2026 को वादी शिवशंकर यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी ग्राम रामपुर कठरवां, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि शाम करीब 07:00 बजे अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उनके घर के परिसर के बगल में लगा हैंडपम्प चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 384/2026 धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 03.11.2026 को थाना देवगांव पुलिस टीम क्षेत्र में देखभाल एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि हैंडपम्प चोरी की घटना से संबंधित दो संदिग्ध व्यक्ति चोरी किए गए हैंडपम्प के मुंडासेट के साथ मोलनापुर-देवगांव मार्ग पर सड़क किनारे खड़े हैं तथा उसे बेचने की फिराक में हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी एवं दबिश दी गई तथा दोनों अभियुक्तों को दिनांक 03.11.2026 को समय करीब 23:23 बजे चोरी के सामान सहित गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. दिलीप राजभर पुत्र रामबली राजभर निवासी ग्राम बेली, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. कमलेश कुमार पुत्र स्व0 हरिराम राजभर उर्फ हरिदास राजभर निवासी ग्राम बेली, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद चोरी का हैंडपम्प मुंडासेट।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 384/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शकील अहमद खाँ, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 सुरेश सिंह, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
3. का0 कृष्ण कुमार सिंह, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
4. का0 कृष्णानन्द पाण्डेय, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
5. का0 मोहित मिश्रा, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
6. का0 अमित तिवारी, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

थाना बरदह , जनपद आजमगढ़।

☐ थाना बरदह पुलिस द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ घटना में प्रयुक्त डण्डा अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद, चेकिंग के दौरान जिवली तिराहे से हुई गिरफ्तारी।

घटना का विवरण-

दिनांक 03.11.2026 को वादी रमजान उर्फ नीक्कू पुत्र स्व0 अब्बास निवासी ग्राम कोदहरा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर तहरीर दी गई कि वह अपने साथी शहबाज के साथ मोटरसाइकिल से बरदह बाजार से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान बरदह नहर के रास्ते ईंट-भट्ठे के पास पुलिया पर आदर्श सिंह व रोहित यादव उर्फ बुलबुल तथा दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी मोटरसाइकिल रोककर चाबी निकाल ली गई तथा गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 343/2026 धारा 109(1), 352 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.11.2026 को उ0नि0 उमेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा क्षेत्र में देखभाल एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त होने पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त 1. आदर्श सिंह एवं 2. रोहित यादव उर्फ बुलबुल को जिवली तिराहे से समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रोहित यादव की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद डण्डा बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. आदर्श सिंह पुत्र मनीष सिंह निवासी ग्राम कनकपुर, थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 26 वर्ष।
2. रोहित यादव उर्फ बुलबुल पुत्र चन्द्रभूषण यादव निवासी ग्राम सतैनी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अदद डण्डा।

आपराधिक इतिहास-

***1. आदर्श सिंह* पुत्र मनीष सिंह निवासी ग्राम कनकपुर, थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 26 वर्ष।**

1. मु0अ0सं0 262/2023 धारा 147, 148, 323, 336, 504, 506 बीएनएस, थाना बरदह, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 376/2024 धारा 115(2), 351(2) बीएनएस, थाना बरदह, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 343/2026 धारा 109(1), 352 बीएनएस, थाना बरदह, आजमगढ़।

***2. रोहित यादव उर्फ बुलबुल* रोहित यादव उर्फ बुलबुल पुत्र चन्द्रभूषण यादव निवासी ग्राम सतैनी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।**

1. मु0अ0सं0 343/2026 धारा 109(1), 352 बीएनएस, थाना बरदह, आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 343/2026 धारा 109(1), 352 बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 उमेश कुमार सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 उपेन्द्र कुमार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
3. का0 ललित सरोज, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
4. रि0का0 मुकेश यादव, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

थाना तरवां जनपद आजमगढ़

☐ थाना तरवां पुलिस द्वारा किराना दुकान में अवैध रूप से भण्डारित 60 किलोग्राम पटाखे बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ चोरी-छिपे अवैध पटाखों की बिक्री करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने दुकान से किया गिरफ्तार, विस्फोटक अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई।

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 04.11.2026 को उ0नि0 सैना कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल क्षेत्र में देखभाल एवं भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि संदीप गुप्ता निवासी भरथीपुर अपनी किराना दुकान में अवैध पटाखों का भण्डारण कर चोरी-छिपे बिक्री कर रहा है।

उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर किराना दुकान पर दबिश दी गई। पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम संदीप गुप्ता पुत्र जयप्रकाश गुप्ता निवासी भरथीपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ बताया। दुकान की तलाशी लेने पर विभिन्न प्रकार के कुल 60 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद हुए। अभियुक्त को दिनांक 04.11.2026 को समय करीब 14:30 बजे गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 226/2026 धारा 288 बीएनएस एवं 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- संदीप गुप्ता पुत्र जयप्रकाश गुप्ता निवासी भरथीपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- कुल 60 किलोग्राम अवैध पटाखे, जिसमें विभिन्न ब्राण्ड एवं प्रकार के पटाखे शामिल हैं।

1. डक ब्राण्ड छोटी मिर्ची – 10×20 पैकेट।
2. चिदम्बरम मिनी बुलेट – 3 पैकेट (10×3)।
3. मोरी छाप मिर्ची बम – 30 पैकेट।
4. SKM बिजली क्रैकर्स – 10×4 पैकेट।
5. राकेट बम – 5×2 पैकेट।
6. मोरी छाप राकेट – 02 पैकेट।
7. मोरी छाप मिनी बुलेट – 30 पैकेट।
8. मोरी छाप बुलेट बम – 06 पैकेट।
9. मोरी छाप स्माल बुलेट – 10 पैकेट।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 226/2026 धारा 288 बीएनएस एवं 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सैना कुमार सिंह, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
2. का0 राहुल यादव, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
3. का0 दीपक वर्मा, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 आर्या जायसवाल, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

जनपद आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 18 वर्ष पूर्व पुलिस अभिरक्षा से फरार 50 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में पेशी के दौरान वर्ष 2008 में हुआ था फरार, दीपावली पर मुम्बई से आजमगढ़ आने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी पर घोषित था ₹50,000 का पुरस्कार।

घटना का विवरण-

अभियुक्त राकेश पाण्डेय उर्फ राजू पुत्र रामानन्द पाण्डेय निवासी खुरशु, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ मु0अ0सं0 558/2004 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना देवगांव में गिरफ्तार होकर जिला कारागार आजमगढ़ में विचाराधीन बंदी था। दिनांक 29.04.2008 को माननीय न्यायालय में पेशी के दौरान अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 504/2008 धारा 223/224 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ द्वारा ₹50,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.11.2026 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय एवं उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित एवं ₹50,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त राकेश पाण्डेय उर्फ राजू को प्राइवेट बस अड्डा से समय करीब 14:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- राकेश पाण्डेय उर्फ राजू पुत्र रामानन्द पाण्डेय निवासी खुरशु, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वर्ष 2008 में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में जिला कारागार से न्यायालय में पेशी के दौरान वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। फरारी के बाद वह लगातार अपना स्थान बदलकर रह रहा था तथा बाद में मुम्बई चला गया, जहां

किराये के मकान में रह रहा था। दीपावली के त्योहार पर मुम्बई से आजमगढ़ आने के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए आगे की बात माननीय न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से कहने की बात बताई गई।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 504/2008 धारा 223/224 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 558/2004 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 504/2008 धारा 223/224 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, चौकी प्रभारी रोडवेज, थाना कोतवाली।
3. का0 मनीष, थाना कोतवाली।
4. का0 अखिलेश कुशवाहा, थाना कोतवाली।
5. म0का0 प्रियंका सिंह, थाना कोतवाली।

सहयोगी टीम-

चोरी अनावरण टीम:

1. कां0 बसंत लाल।
2. कां0 गुलाब रब्बासी।
3. का0 जितेन्द्र कुमार यादव।

सर्विलांस टीम:

1. का0 इंद्रेश वरुण।
2. का0 जयदेव मौर्य।
3. दिनेश यादव